भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन और पेट्रोरसायन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2564
दिनांक 10 मई, 2016 को उत्तर दिए जाने के लिए

.....

प्लास्टिक अपशिष्ट तथा खतरनाक रसायन

2564. श्री पी. आर. सेनथिल नाथन :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में प्लास्टिक अपशिष्ट तथा खतरनाक रसायनों के खतरों से अवगत है;
(ख) यदि हां, तो देश में वार्षिक जमा प्लास्टिक अपशिष्ट तथा खतरनाक रसायनों की मात्रा का ब्यौरा क्या है;
(ग) इस खतरे को रोकने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार दोनों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व क्या है ?

<u>उत्तर</u>

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहिर)

(क) और (ख) : सरकार देश में प्लास्टिक अपशिष्टों और खतरनाक रसायनों के प्रभावों से अवगत है । लगभग 5.6 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट देश में प्रत्येक वर्ष पैदा होता है । खतरनाक रसायनों के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि कुल 684 रसायनों को खतरनाक रसायनों के विनिर्माण, भण्डारण और आयात संबंधी नियमावली, 1989, जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गया है, में खतरनाक रसायनों (एम.एस.आई.एच.सी.) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ।

(ग) : प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पूर्ववर्ती 'प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 2011' का अधिक्रमण करते हुए संशोधित 'प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पी.डब्ल्यू.एम.) नियमावली, 2016' को अधिसूचित किया है । समस्त देश पर लागू इन संशोधित नियमों में प्लास्टिक थैलियों की न्यूनतम अनुमत्य मोटाई 40 से बढ़कर 50 माइक्रोन कर दी गई है, विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ई.पी.आर.) की संकल्पना को लागू किया गया है और अपशिष्ट उठाने वाले व्यक्तियों, पुन:चक्रणकर्त्ताओं और अपशिष्ट प्रोसेसरों आदि को शामिल करके स्रोत पर अलगाव और पुन:चक्रण के महत्व को दर्शाया गया है । सरकार सड़कों के निर्माण में अपशिष्ट प्लास्टिक के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है ।

जारी....2

खतरनाक रसायनों के प्रबंधन के संबंध में सरकार ने एम.एस.आई.एच.सी. नियमावली, 1989 और रसायन दुर्घटना (आपात योजना तैयारी और प्रतिक्रिया) नियमावली, 1996 के अंतर्गत सूचीबद्ध खतरनाक रसायनों के लिए पर्याप्त सुरक्षा मानदण्ड सुनिश्चित करने के प्रति कदम उठाए हैं ।

(घ) : पी.डब्ल्यू.एम. नियमावली, 2016 के अंतर्गत राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र इसको लागू करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं । इसके अलावा, इन नियमावलियों के कार्यान्यवन की प्रभावी निगरानी के प्रयोजनार्थ राज्य/संघ राज्यों क्षेत्रों में सचिव, शहरी विकास विभाग की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय सलाहकार समिति गठित करना निर्धारित किया गया है । खतरनाक रसायनों के मामले में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियों की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व एम.एस.आई.एच.सी. नियमावली, 1989 की अनुसूची 5 में निर्धारित की गई हैं ।

***